*उभरते जोखिमों के मध्य पर्यवेक्षण**

श्री स्वामीनाथन जे.

दुनिया भर से आए सम्मानित प्रतिनिधिगण, आदरणीय गवर्नर महोदय, उप गवर्नर-गण और भारतीय रिज़र्व बैंक के मेरे सभी सहकर्मीगण, देवियो और सज्जनो। आप सभी को नमस्कार।

वास्तव में, मेरे लिए इस प्रतिष्ठित पैनल के समक्ष उद्घाटन भाषण देना सम्मान की बात है, जिसमें जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. जॉन मुशायावन्हू, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर श्री एस.एस.मूंदड़ा, आईएमएफ के मौद्रिक और पूंजी बाजार विभाग के वित्तीय पर्यवेक्षण और विनियमन प्रभाग के प्रभाग प्रमुख श्री जय सुरती, ई एंड वाई में साइबर सुरक्षा के भागीदार श्री कृष्ण शास्त्री पेंड्याला और पैनल के संचालक, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू शामिल हैं।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की निगरानी, जैसा कि हम आज समझते हैं, एक अपेक्षाकृत हालिया विकास घटनाक्रम है - लगभग पचास वर्ष पहले की बात है[1]। हालाँकि, बैंकों की निगरानी की अवधारणा केंद्रीय बैंकिंग की नींव में ही अंतर्निहित है। शुरुआती दिनों से, केंद्रीय बैंकों ने अंतिम ऋणदाता के रूप में अपनी भूमिका निभायी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय संस्थाएं शोधक्षम बनी रहें और प्रणालीगत संकटों से सुरक्षित रहें। वास्तव में, पर्यवेक्षण वह आधारशिला[2] रहा है जिसने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करके और इस तरह बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास को बढ़ावा देकर वित्तीय प्रणाली की अखंडता और स्थिरता का समर्थन किया है।

जैसे-जैसे दुनिया तेज़ी से विकसित हो रही है, वित्तीय क्षेत्र के सामने आने वाले जोखिमों की प्रकृति भी बदल रही है। प्रौद्योगिकीय उन्नति से अविश्वसनीय दक्षता तो हासिल हुई है, लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा के खतरे और तीसरे पक्ष की निर्भरता से उत्पन्न होने वाले जोखिम जैसी महत्वपूर्ण असुरक्षाएँ भी देखने को मिलती हैं।

जलवायु परिवर्तन, जिसे कभी दूरगामी चिंता माना जाता था, अब संस्थाओं और अर्थव्यवस्थाओं के लिए तत्काल और भौतिक जोखिम उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, अस्थिर बाजारों और बदलते समष्टि-आर्थिक रुझानों की जटिलताएं भी हैं। इस प्रकार, पर्यवेक्षण का कार्य पहले से कहीं अधिक गतिशील और महत्वपूर्ण हो गया है।

इसलिए, पर्यवेक्षण को समय के साथ विकसित करने की आवश्यकता है और अब इसका मतलब महज अनुपालन लागू करना नहीं रह गया है। इसके बजाय, इसे जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने, पूर्वानुमानित और अप्रत्याशित, दोनों तरह के जोखिमों पर तुरंत प्रतिक्रिया करने और वित्तीय प्रणाली में समुत्थानशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है।

मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कुछ समय दें कि समुत्थानशीलता (रेज़िलिएन्स) का क्या अर्थ है। जहां स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय प्रणाली अपनी कार्य करने की क्षमता गवाएँ बिना आघातों का सामना कर सकती है, समुत्थानशीलता एक कदम आगे जाती है। समुत्थानशीलता यह दर्शाती है कि वित्तीय प्रणाली झंझावात का सामना करने के अलावा, नई परिस्थितियों के अनुकूल बदलने और उसमें पनपने में सक्षम है[3], ताकि यह विश्वास और स्थिरता की द्योतक बनी रहे।

वित्तीय सुदृढ़ता विकसित करने के लिए पर्यवेक्षण सक्रिय, निरंतर, दूरदर्शी और जोखिम-केंद्रित होना चाहिए। एक प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण प्रणाली के लिए पर्यवेक्षक को प्रत्येक बैंक के जोखिम प्रोफाइल का निरंतर, दूरदर्शी मूल्यांकन बनाए रखने की आवश्यकता होती है[4] - जो उनके प्रणालीगत महत्व के साथ संरेखित होता है। पर्यवेक्षकों को एकल संस्थाओं और संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्पष्ट आकस्मिक योजनाओं के लिए एक भली-भांति परिभाषित रूपरेखा का होना भी शामिल है ताकि गैर-व्यवहार्य बैंकों का सुव्यवस्थित और

* 22 नवंबर 2024 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों के उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का उद्घाटन भाषण।

1 मास्कियांडारो , डी एंड एम क्विंटिन (2013) "दि इवॅाल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन: द कंटीन्यूइंग सर्च फॉर द होली ग्रेल", एसयूईआरएफ 50वीं वर्षगांठ खंड अध्याय: 263-318 ।

2 कीस्टोन, मेहराब के शिखर पर स्थित खूँटे (वेज) के आकार का टुकड़ा होता है जो अन्य टुकड़ों को अपनी जगह पर लॉक करता है।

3 मैरी डॉवेल-जोन्स और रॉस बकले, रीकंसीविंग रेजिलिएंस: ए न्यू गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन?, 37 न्यू. जे. इंटरनेशनल एल. एंड बिजनेस 1 (2017)। http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol37/iss1/।

4 *सिद्धांत 8: बासेल मूल सिद्धांतों के पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से पता चलता है कि बैंकिंग पर्यवेक्षण की एक प्रभावी प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक प्रत्येक बैंक के जोखिम प्रोफाइल का एक भविष्योन्मुख मूल्यांकन विकसित करे और उसे बनाए रखे, जो उसके प्रणालीगत महत्व के अनुपात में हो; बैंकों और समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान करे, उनका आकलन करे और उनका समाधान करे; समयपूर्व हस्तक्षेप के लिए एक रूपरेखा तैयार करे; और अन्य प्रासंगिक प्राधिकारियों के साथ साझेदारी में, बैंकों के अव्यवहार्य हो जाने पर उनका सुव्यवस्थित तरीके से समाधान करने के लिए कार्रवाई करने की योजनाएं बनाए।*

कुशल तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए, पर्यवेक्षकों के पास आवश्यकतानुसार तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए।

हाल के वर्षों में, हमने इस उद्देश्य के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षी ढांचे को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास किए हैं। हमारी पर्यवेक्षी पहलों का उद्देश्य जोखिमों और असुरक्षाओं की समयपूर्व पहचान करना है, और इन जोखिमों को कम करने के लिए समयपूर्व हस्तक्षेप के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित करना है। हमने अपना ध्यान केवल असुरक्षाओं के लक्षणों को संबोधित करने से हटाकर उनके मूल कारणों की पहचान करने और उनका समाधान करने पर केंद्रित कर दिया है, साथ ही वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यवेक्षी कठोरता को सुसंगत बनाया है।

हमने एक सुविचारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण तैयार किया है और उसे लागू किया है, जो उच्च जोखिम वाली संस्थाओं और प्रथाओं पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक लचीलापन और मापनीयता प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण के केंद्र में एक सक्रिय ऑफ-साइट निगरानी तंत्र है जो हमें उभरते जोखिमों का पता लगाने और पर्यवेक्षित संस्थाओं में कमजोरियों का आकलन करने में सक्षम बनाता है, जिससे इन जोखिमों को बढ़ने से पहले कम करने या प्रबंधित करने के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है।

अपनी पर्यवेक्षी क्षमता को और मजबूत करने के लिए, हम 'कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स' जैसी पहलों में भी निवेश कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हमारे पर्यवेक्षी कर्मचारियों के कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ाना है। क्षमता निर्माण के अतिरिक्त, हम पर्यवेक्षित संस्थाओं के भीतर जोखिम और अनुपालन संस्कृति को बेहतर बनाने पर अपने प्रयासों पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये संस्थाएं न केवल विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं बल्कि सभी स्तरों पर जोखिम और अनुपालन के प्रबंधन के लिए एक सक्रिय, मजबूत दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती हैं।

जबकि पर्यवेक्षकों के रूप में हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, यहाँ चार्ल्स गुडहार्ट का कथन याद करना सार्थक हो सकता है -*"पर्यवेक्षण के संचालन में सराहना का स्थान नहीं है (थैंकलेस जॉब), जिसमें पर्यवेक्षक की प्रतिष्ठा धूमिल होने की बहुत अधिक संभावना है। एक पर्यवेक्षक के लिए सबसे अच्छी उम्मीद यह है कि कुछ भी अप्रिय न घटे। पर्यवेक्षकों पर केवल तभी ध्यान दिया जाता है जब उनके कार्यों से विनियमित संस्थाएं नाराज होती हैं, चाहे प्रतिबंधात्मक या दखलंदाजी उपायों के माध्यम से, या जब किसी विफलता के बाद उनकी आलोचना की जाती है, जैसे कि किसी वित्तीय संस्थान का पतन या ग्राहक को नुकसान पहुँचने पर। संस्थाओं को विफल होने के कगार पर कुछ छूट देने की आवश्यकता के बारे में चर्चा के बावजूद, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पर्यवेक्षकों को अनिवार्य रूप से नकारात्मक प्रेस का सामना करना पड़ता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों।"*

जैसा भी हो, निष्कर्ष यह है कि पर्यवेक्षण का कार्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक भी है। पर्यवेक्षकों के रूप में, यह हमारी सतर्कता, सक्रिय उपायों और पर्यवेक्षी ढांचे के निरंतर बदलते स्वरूप के माध्यम से है कि हम एक ऐसा वित्तीय वातावरण बना सकते हैं जहाँ संस्थाएँ महज जीवित न रहें बल्कि उभरते जोखिमों के बाद भी पनपती रहें।

अगले दशक के लिए हमारे विज़न, आरबीआई@100 के हिस्से के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक का लक्ष्य 'ग्लोबल साउथ' के केंद्रीय बैंकों के साथ और अधिक संबंध स्थापित करना है। हम जोखिम-केंद्रित पर्यवेक्षण का एक वैश्विक मॉडल स्थापित करने के लिए समर्पित हैं, जो मजबूत जोखिम निर्धारण और अनुपालन संस्कृति पर जोर देता है, और एक "दीर्घकालिक" जोखिम मूल्यांकन ढांचा बनाता है। इसके अतिरिक्त, हम अपने पर्यवेक्षी कार्यों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत डेटा विश्लेषण पारितंत्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा दृष्टिकोण तेजी से बदलती दुनिया में दूरदर्शी और दक्ष बना रहे।

इन विचारों के साथ, मैं एक चित्ताकर्षक और अंतर्दृष्टिपूर्ण पैनल चर्चा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिसमें उभरते जोखिमों के संदर्भ में पर्यवेक्षण की बदलती भूमिका का पता लगाया जाएगा।

धन्यवाद!

[5] गुडहार्ट, सी.ए.ई. (2000) । बैंकिंग पर्यवेक्षण का संगठनात्मक ढांचा। एफएसआई सामयिक पत्र, वित्तीय स्थिरता संस्थान, संख्या 1, नवंबर । पृष्ठ 20-21 । https://www.bis.org/fsi/fsipapers01.pdf. पर उपलब्ध।